श्री लाल् प्रसाद (बिहार): कोई हर्ज नहीं।.....(व्यवधान). महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उपर जो आघात हुआ है...?

श्री सभापति: समझ गया, मैं यह जरूरी काम कर लूं। मैं बिल ले रहा हूं।

GOVERNMENT BILLS

The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Bill, 2003

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करती हुं:

''कि, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2003 पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।''

The Question was proposed.

MR. CHAIRMAN: Any member desiring to speak may do so after which the Minister will reply.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापित जी, संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी विषयों पर चर्चा करने के लिए एक संसदीय समिति बनी हुई है। उस संसदीय समिति ने काफी विचार-विमर्श के बाद कुछ अनुशंसाएं, कुछ सिफारिशें सरकार को की हैं और यह जो विधेयक मैं ला रही हूं, इस विधेयक में सारे के सारे प्रस्ताव उस समिति की सिफारिश पर आधारित हैं। मैं केवल यह बता दूं कि इसमें प्रस्ताव क्या हैं?

सभापित जी, इसमें पहला प्रस्ताव है पूर्व सांसदों को न्यूनतम पेंशन देने का। अभी तक मौजूदा प्रावधान के अनुसार एक सांसद जो चार वर्ष तक सांसद रह चुका हो या दो टर्म चुना गया हो उसी को रुपए 3000/- पेंशन मिलती है और आगे एक एक वर्ष बढ़ाने के लिए छह-छह सौ रुपए बढ़ जाते हैं। करीब 764 सांसद लोकसभा के और 200 से ज्यादा सांसद राज्यसभा के ऐसे थे, जो इस न्यूनतम पेंशन से भी वंचित थे। उनकी बार-बार यह मांग आ रही थी कि जो व्यक्ति एक बार चुनकर आ गया तो उसको कम से कम न्यूनतम पेंशन तो मिलनी चाहिए। इस पर समिति ने यह सिफारिश की।

श्री सभापति: चाहे कितने दिन के लिए रहा हो?

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी, अवधि को दरगुजर करते हुए, अवधि को देखे बिना अब न्यूनतम पॅशन सभी सांसदों को मिले, एक तो इसका प्रावधान कर रहे हैं। RAJYA SABHA

[23 December, 2003]

श्री लालू प्रसाद (बिहार): बहुत कम किया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जितना किया है उतना तो कर दें अभी। जो अभी रुपए 3000/- पेंशन सब को मिल रही है, राशि नहीं बढ़ा रहे हैं, कम भी नहीं किया है लेकिन नेट में सबको ले आए हैं।


श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): 3000/- रुपए तो चपरासी को मिलते हैं।

श्री लालू प्रसाद: कुछ नहीं है, इसलिए कोई उत्साह नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: बिना उत्साह के पास कर दीजिए।

उपसभापति महोदया पीठासीन हुई।

उपसभापित महोदया, मैं उन प्रस्तावों का उल्लेख कर रही हूं, जो इस विधेयक में हैं। पहला प्रस्ताव मैंने बताया कि हम सभी पूर्व सांसदों को भी न्यूनतम पैंशन देने का प्रावधान कर रहे हैं। दूसरा, जो एक वर्ष की अवधि गिनते हैं तो उसमें अगर 9 महीने हो जाएं तो उसको राउंड-ऑफ करके एक वर्ष बना दिया जाए। यह दूसरा प्रावधान है। तीसरा प्रावधान यह है कि अभी एक फैमिली पैंशन मिलती है कि अगर सिटिंग मैम्बर की डैथ हो जाए तो पांच वर्ष तक इसमें रुपए 1000/- को रुपए 1500/- करने का प्रावधान है। चौथा प्रावधान यह है कि अभी तक हम केवल इंडियन एअरलाइन्स से सफर करने के लिए अधिकारी हैं। अब चूंकि प्राइवेट एअरलाइन्स भी आ गई हैं और बहुत बार सफर करने में समय को लेकर सांसदों को असुविधा होती थी ...(व्यवधान)



†प्रो॰ सैफुदीन सोज (जम्मू और कश्मीर): मैडम मुझे इस पर एतराज है। I must be heard on that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let she be heard first, then I will allow you.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, मैं सारे प्रस्ताव पहले बता दूं। उसके बाद जिस प्रस्ताव पर बोलना हो, बोल दें। तो बहुत बार असुविधा होती थी। अब किसी प्राइवेट एअरलाइन्स का समय उन्हें सूट करता है और वे जाना चाहते थे तो पहले अलग से सिविल एवीएशन मिनिस्टरी से उन्हें इजाजत लेनी पड़ती थी। अब इंडियन एअरलाइन्स के साथ निजी एअरलाइन्स की भी अनुमित दे रहे हैं। फिर जो 32 हवाई यात्राएं मिलती हैं, उनमें हम कंपेनियन के तौर पर अपने स्पाउस या कंपेनियन को ले जाने के तो अधिकारी हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा मौका पड़ा कि जब सांसद यहां

[†]Transiteration of Urdu Speech.

हैं, बीमार पड़ गए और पत्नी को बाहर से आना है तो वह नहीं आ सकती थी या यहीं से सांसद को आगे कहीं जाना है और पत्नी को साथ में बीच से ज्वायन करना है, कंपेनियन को ज्वायन करना है तो ज्वायन नहीं कर सकते थे। अब यह एक सीमा निर्धारित कर रहे हैं कि उन 32 में से ऐसी 8 जर्नी वे अकेले भी कर सकते हैं। इसका एक प्रावधान किया है।

उपसभापति: इसमें थोड़ा सा मुझे एतराज है। आपने कहा पत्नी, तो पित भी तो हो सकते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, स्याउस में पित और पत्नी, दोनों आते हैं। अंग्रेजी का शब्द है स्पाउस। मैं और आप एक ही कैटेगरी के हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पित/पत्नी/सहयात्री।

श्री राजीव शुक्ल: सुषमा जी, आप दोनों तरफ हैं पत्नी भी और पति भी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: दरअसल पित अपने अधिकारी हैं यात्रा के, इसिलए मैंने उनका जिक्र नहीं किया था।...(व्यवधान) एक मिनट, पूरी बात बता दूं, फिर आप बोल लीजिए।

श्रीमती जमना देवी बाल्पाल (राजस्थान): जो बिडो हैं उनके लिए क्या प्रावधान है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: कंपेनियन, बेटे को बुला लो बेटी को बुला लो, बहु को बुला लो।

उपसभापति: स्पाउस के साथ में स्पाइस भी एड कर दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं, स्पाउस। एक मांग नार्थ-ईस्ट के एमपीज़ की यह थी कि उन्हें स्टेशन तक तो सड़क भत्ता मिल जाता है, लेकिन एअरपोर्ट तक का नहीं मिलता। बहुत सी जगह नॉर्थ-ईस्ट में एअरपोर्ट बहुत दूर हैं तो उसके लिए और जो दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग हैं उनका कहना रहा कि अगर हम कार से आते हैं तो हमें रोड माइलेज नहीं मिलता। तो इसमें हम सड़क भत्ते का प्रावधान कर रहे हैं। एक मांग पूर्व सांसदों की यह थी कि एसी-टू टीयर में कंपेनियन के साथ में यात्रा करने का अधिकार उन्हें है, लेकिन अगर अकेले चलकर एसी-फर्स्ट क्लास में चलना चाहें तो सुविधा नहीं मिलती। अब उनको अकेले एसी-फर्स्ट क्लास का अधिकार भी इसमें दे रहे हैं। एक जो टेलीफोन हम यूज़ करते हैं, उसके लिए यह बार-बार कहा जाता था कि जितने टेलीफोन्स हमारे घर में हैं, हमारी डेढ़ लाख कॉल्स सब पर आप कर दीजिए, किराया बेशक तीन का ही दीजिए, अगर आप अपनी ओर से तीन इन्स्टाल करते हैं। एक वह मांग रहे हैं। इन डेढ़ लाख कॉल्स को कैरी फारवर्ड किया जा सकता है, अगर एक वर्ष में आप पूरी न कर पाएं, यह मांग रहे हैं।

[23 December, 2003] RAJYA SABHA

इस तरह से ये प्रावधान, जिनकी संसदीय समिति ने सिफारिशें की थी, सरकार ने उनको माना है और यह प्रस्ताव में लेकर आई हूं। इसे लोक सभा ने भी पारित किया है। कोई ज्यादा चर्चा की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि पहले ही दौनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति ने इसको किया है। मैं सदन के सामने प्रस्ताव करती हूं कि वह इसको पारित करे, सर्वसम्मित से पारित करे, यही मेरा निवेदन है।

उपसभापति: इंडियन एयरलाइंस के बारे में आपको कुछ कहना है, बोल दीजिए।

†प्रो॰ सैफ़्द्रीन सोज़: मैडम, मुझे अफसोस हो रहा है की श्री राजीव प्रताप रूडी जी बडी मेहनत करने लगे हैं. अच्छा काम करने लगे हैं, उन्होंने कैसे यह मान लिया as the representative of the people कि इंडियन एयरलाइंस के मुकाबले में प्राइवेट एयरलाइंस की भी यह फैंसिलिटी हमारे कुलीग्स को मिलेगी। मुझे इसलिए ऐतराज है कि प्राइवेट एयरलाइंस का सोशियल कमिटमेंट किसी-किसी वक्त जीरो के बराबर होता है। मैं एक मिसाल देता हं। बादल छा जातें हैं जम्मू और कश्मीर के दरम्यान। उस वक्त इंडियन एयरलाइंस हर हाल में कोशिश यह करती है कि सवारियों को वह श्रीनगर पहुंचाए या श्रीनगर से जम्मू पहुंचाए। लेकिन उस वक्त चाहे ''जेट'' हो या और कोई एयरलाइंस हो. उनकी बनियाद तो टोटली 100 परसैंट कमर्शियल है। सवाल यह है कि इंडियन एयरलाइंस इस मुल्क का ऐसट है, सरमाया है। उनमें गल्तियां हो सकती हैं, बड़ी खराबी है इंडियन एयरलाइंस में या एयर इंडिया में, लेकिन इस सदन को कोशिश यह करनी चाहिए कि कैसे इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया और उनके साथ जेली कम्यनियां तरक्की करें। यह तो इंडियन एयरलाइंस के खिलाफ बात हो रही है। कुछ लोगो ने मुझे यह बताया कि चंकि इंडियन एयरलाइंस में खाने की सविधा अच्छी नहीं है इसलिए हम ''जेट'' में जाएंगे। तो इस सदन में इंडियन एयरलाइंस, हमारे एक पब्लिक सैक्टर के खिलाफ यह प्रोविजन किया गया है। मैं इसकी प्रजोर मुखालिफत करता हं और अपने कुलीग्स से दरख्वास्त करता हूं कि जिस तरह से मैं इंडियन एयरलाइंस से हमेशा चलता हूं, आप भी उसी में जाइए और अपने इंडियन एयरलाइंस को आप ज्यादा से ज्यादा मुफीज़ बनाइए अपने लिए। इसलिए में दरख्वास्त करता हूं कि यह फैसिलिटी एम॰पीज॰ को नहीं मिलनी चाहिए।

उपसभापति: श्री लालू प्रसाद।

†प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़: यह बहुत गलत बात है और अपने पब्लिक सैक्टर के खिलाफ है।

वयसभापित: ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, Government should think about it. कई जगहों पर, आप और हम जो बड़े मैट्रोपोलिटिन सिटीज़ में रहते हैं, उन्हें हर एयरलाइन्स की सुविधा होती है लेकिन बहुत से ऐसे एम॰पी॰ हैं जो ऐसे फार-फलंग एरियाज़ में रहते हैं कि वहां उनको इंडियन एयरलाइंस की शायद सुविधा न होती हो। उनको महेनजर रखकर यह कमेटी ने तय किया है। (व्यवधान)...

†प्रो॰ सैफ़्द्रीन सोज़: ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरलाइंस मौजूद नहीं है, यह* की बात है।

[†]Transliteration of Urdu Speech.

^{*}Expunged as ordered by the Chair.

उपसभापति: Is an unparliamentary word. (Interruptions)

†प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: यह *की बात है और मिनिस्टर को नहीं मानना चाहिए था इस पर।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: (झारखंड) महोदया, ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry, you are a very senior Member.... (Interruptions) it is not proper. (Interruptions) Please, just one minute. ...(Interruptions)

SHRI B.J. PANDA (Orissa): We do not have adequate flights. (Interruptions).

ेंडपसभापति: मैं आपको एक बात कहूं। आपकी रिजर्वेशंस हैं, प्लीज(व्यवधान)..

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): मैडम, आप आर्डर कर दीजिए कि जहां इंडियन एयरलाइन्स नहीं हैं, वहां यह होगा।....(व्यवधान)...

उपसभापति: आप बैठिए। एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए।(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Excuse me. Just one minute, please. I am going to remove this word from the record, because it is being used for the facility to the Members of Parliament and I think, it is not correct to use the word*We do not come here to do* . (Interruptions) Please, sit down. (Interruptions) Everybody cannot speak at the same time. बोलिए लालू जी।

श्री लालू प्रसाद: मैडम, आपने मुझे, मुझे इजाजत दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी जो माननीय संसद सदस्यों के लिए वेतन, भत्ता और पेंशन विधेयक, 2003 लाई हैं, इस पर हमको ज्यादा उत्साह नहीं है और उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि राजनेता और माननीय सांसद अपना सम्पूर्ण जीवन सोशियल वर्क में लगा देते हैं। महोदया, हार-जीत अपनी जगह पर है लेकिन जब वे भूतपूर्व हो जाते हैं तो उनकी दुर्दशा को देखा जाए कि उनकी क्या हालत होती है। जब वे भूतपूर्व हो जाते हैं तो मंत्रियों के घर में और सिटिंग एम॰पी॰ के घर में जिधर बाथरूम रहता है, वहां कम्बल बिछाकर वे लोग सोते हैं। क्या हालत है और क्या मज़ाक बनाया गया है, कि 3 हजार रुपया पेंशन दी जा रही है। तीन हजार रुपया पेंशन कोई पेंशन है क्या? भले ही लोग

[†]Transliteration of Urdu Speech.

^{*}Expunged as ordered by the Chair.

आलोचना करते हैं, लोग बहुत प्रगतिशील बन जाते हैं। इस देश में राजनेताओं को सब गाली देते हैं। सारे लोगों की नजर में हम लोग भ्रष्ट हैं। हम लोगों को भ्रष्ट कहा जाता है। हम राजनेता लोग एक-दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए हैं। हम एक-दूसरे को चोर कहते हैं। जो चोर है, वह दूसरे को चोर कहता है। आप देखिए कि जो IAS और IPS है या जो सरकारी सेवा में क्लास बन और क्लास दू के लोग हैं या रेलवे सेवा में हैं, उनकी पेंशन देखिए और जनता का काम, इतना बड़ा जोखिम से भरा काम करने के बाद ये तीन हजार रुपया पेंशन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जो को सुझाब देना चाहता हूं कि आप मिनिमम दस हजार रुपए से शुरू किरए, बीस हजार रुपए से शुरू किरए, बीस हजार रुपए से शुरू कारए और एक लिमिट आप रख दीजिए। हम इसके लिए आलोचना सहने के लिए तैयार हैं। अच्छा काम किरएगा, तो भी आलोचना होती रहती है। आप मिनिमम लिमिट तय कर दीजिए और उसमें संशोधन किरए। सुषमा जी सुनिए। गौतम चचा, मेरी बात सुनिए, मिनिमम दस हजार रुपए से शुरू किरए।

महोदया, माननीय सोज़ साहब ने जहाज के मामले में विरोध किया है। महोदया, AIIMS है, सरकारी अस्पताल है, वहां हम लोग कम जाते हैं और अपोलो है, एस्कार्स है, जहां भी बढ़िया-बढ़िया अस्पताल हैं, वहां हम लोग इलाज कराते हैं। एक तरफ आप अस्पताल का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोज़ साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट को क्यों दे दिया? बिहार में जो इंडियन एयरलाइंस का जहाज सुबह-शाम जाता था, यह बिल्कुल बंद हो गया है। इसलिए यह काम ठीक है। हमको छूट है कि हम इंडियन एयरलाइंस से जाएं या प्राइवेट एयरलाइंस से जाएं। आप हमको टिकट दीजिए। हमको तो टिकट की सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए इसका हम समर्थन करते हैं। मांग क्या करें, कोई भीख मांग रहे हैं क्या? हम चाहते हैं कि यह पेंशन दस हजार रुपए से शुरू होनी चाहिए। जो एक्स एम॰ पी॰ रहे हैं और एक्स एम॰एल॰ए॰ रहे हैं, उसको भी आपको जोड़ना चाहिए कि दोनों पेंशन लेने का हक उसको होना चाहिए। बहुत जगह नहीं है। जो प्रोफेसर रहे हैं, टीचर रहे हैं, उसके मामले में पता नहीं कि आपने इसमें कोई प्रावधान किया है या नहीं, वह भी लेगा या नहीं लेगा, दोनों लेगा या करेगा, पता नहीं।

मारेदया, हम लोगों ने यहां मांग की थी माननीय सभापित जी के सामने कि एम्ल्पी॰ लोगों के लिए आप सस्ते दर पर या reasonable market rate पर फ्लैट्स दीजिए लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। सिवाय राजनेताओं की बदनामी के यहां कुछ होता नहीं। यहां काम नहीं होता। हम कानून बनाते हैं। हम अपने लिए कम प्रावधान भी करते हैं फिर भी हम लोगों की आलोचना होती है। हम तो कभी एक्स होने वाले नहीं हैं, यह आप भी जान लीजिए। जो भूतपूर्व सदस्य हो गए हैं, उनके लिए पेंशन दस हजार रुपए से शुरू कीजिए, हिम्मत बंधाइए, हम लोग इसका समर्थन करते हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Nilotpal Basu ... (Interruptions)...

[23 December, 2003] RAJYA SABHA

Shall I suggest one thing? ...(Interruptions)... Just one minute. ... (Interruptions)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I support Laluji. ...(Interruptions)...

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Madam, the whole House supports him....(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Can we have some order in the House? I think the more MPs, the more disorder! Please let her move the Bill. ...(Interruptions)... Under which rule, under which prakriya we are discussing it.(Interruptions)... Let her move it. ...(Interruptions)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने मूब कर दिया था। मूब हो चुका है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. She has moved it already. ...(Interruptions)... Then his name is there. Mr. Basu, you speak. I am asking you to speak. ...(Interruptions)... I am asking you to speak. ...(Interruptions)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने मुव कर दिया था। मुव हो चुका है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, that is why I am asking him to speak in a proper manner.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam, our position is like this.

लालू जी ने जो बोला कि जो भी होता है, एम॰पीज़ की कमेटी जो सुझाव रखती है, अभी माहौल इस तरह का है कि उसकी आलोचना होती है। Generally, we are for taking care of all the aspects of the functioning of the Legislature through Parliamentary Committees. There are not two opinions on that. But on the question of salaries and other amenities of the MPs, there appears to be a conflict of interest. कोई और तबका ऐसा नहीं है जो अपनी तनख्वाह या अपनी सुविधाएं खुद तय करता है। Earlier, when Shri Pramod Mahajan was the Minister of Parliamentary Affairs, he suggested to all parties to give their recommendation in writing. So, we had suggested that an independent committee, at least on the salaries and other amenities of the MPs should be constituted, because there is a conflict of interest and this is, perhaps they only section which is taking upon itself the responsibility of fixing its salaries and amenities.

It is not that they are very high in all respects. That is not our point. The point is that there is no mechanism. We are deciding them for ourselves. This, I think, needs to be changed. On all other aspects of the functioning of the Legislature, it is the Parliamentary Committees that decide. We seriously want to guard the independence of the Legislature and there are no two opinions on that. But on this question, I think, there has to be a very categorical change, whether we like it or not. The Parliament should also self introspect on that. The current stock of Parliamentarians are such that they are taken in for criticism on this kind of issues. Therefore, on the question of deciding the salaries and other amenities of the MPs, I think some independent procedure must be evolved through our discussion here itself so that we can fix this kind of things without any controversy. Thank you.

SHRI FALLS, NARIMAN (Nominated); Madam Deputy Chairman, in this happy mood of the House, I am sorry to strike a slight note of caution. Whenever we provide more perks and facilities for the Members of Parliament, we are always criticised. Often, I believe, and rightly, our performance is assessed at the bar of public opinion and at the bar of public opinion our performance in Parliament, as Members of Parliament, sometimes leaves much to be desired. So, I respectfully suggest that we should honestly face it. At times like this, we should, I believe be critical of ourselves. Why do we not provide, for instance, if necessary by a resolution, as unanimously as we are going to pass this Bill, that, if for any reason, the proceedings of the House, on any day, are not held, the Members are not entitled to their daily wage? No work, no pay, the Bhagvad Gita says, "Whatever the imporatant people do, others follow". Why can't we set an example? The people, I believe, expect us to do that. If we show we are responsive to genuine public opinion, I am sure, public opinion will not grudge our perks, pay and privileges. We must, I suggest, by example, not by preachings, show to the people that parliamentary demoracy is the best form of Government, and as a start, I humbly believe we should adopt rules implementing the three Repors of the Ethics Committee which have already been unanimously adopted by this House. Thank you.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Thank you every much, Madam, I entirely agree with Shri Nilotpal Basu. We had also made this a point. Last time, when Shri Pramod Mahajan was the Minister of

Parliamentary Affairs and the last amendment took place, we gave a categorical suggestion that these things, particularly, the amenities and salaries of the Members of Parliament, should not be decided by the Menibers of Parliament or a committee constituted by the Members of Parliament alone. We had also suggested, as Shri Nilotpal Basu has rightly pointed out, that some committee should be constituted and that committee should recommend these things. While appreciating this Bill, I am not critical of this Bill at present. But I would like to communicate, through you. Madam, to the committee that decides the salaries and other amenities of the Members of Parliament that the ex-Members should be provided with telephone facility. A minimum telephone facility should be provided to the ex-Members. Today, we have 1,50,000 calls and we are trying to take care of the problems. But even after a Member retires from the House, he does not retire from the social life. So, you can provide this telephone facility in a restricted manner. You can fix the number of calls that can be allowed per month. But the telephone facility should be given to the ex-Members also. That is my suggestion. And once again, I repeat that a separate independent committee should be constituted and this committee should take care of the salaries and allowances of the Members of Parliament

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Madam, I have no objection to our voting as much pay, as much pension and as many facilities as we like because, notwithstanding the conflict of interests which Mr. Nilotpal Basu has brought out, this is the system. But I do believe that we must lay down firmly the terms and conditions of our service. There must be a fixed number of sittings of Parliament every year. There must be a fixed number of hours for which all of us have to be present in the Parliament. And I very strongly support Mr. Fali S. Nariman's suggestion that there should be a Principle of no work no pay' if we create a disturbance in the functioning of the House as a mark of protest or whatever else and the House is adjourned. Then, I do think that as an institution on which the nation spends approximately the same amount that it spends in defending Siachin, we should give something back to the nation. The minimum that we can do is this. We should follow the principle of 'no work no pay' for that day, as also no allowances for that day.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now that everybody has made his points ... (Interruptions)...

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): मैडम, ...(व्यवधान)...

उपसभापित: आप सब की तरफ से लालू जी बोल चुके हैं। (व्यवधान)... लालू जी बोल दिये हैं सबकी तरफ से इसलिए सभी नहीं बोलेंगे।...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपके नेता बोल चुके हैं।

SHRI PREM CHAND GUPTA: Madam, he wants to seek a small clarification.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will call him. Let him speak. ...(Interruptions)...

SHRI B.P. SINGHAL (Uttar Pradesh): Madam, I thank you for giving me this opportunity (Interruptions) I think there is considerable weight in what Prof. Soz says; the facility to travel by Jet or Sahara is already there. The only thing is that we have to buy that ticket. And we will be paid only the Indian Airlines fare. That facility can continue. So anyone can use Jet or Sahara or any other airline, but he will be paid only according to the Indian Airlines fare. That I think, should not change. That is one point.

The second point that I want to make is that I agree with Shri Shankar Roy Chowdhury that we should follow the principle of 'no work no pay and allowance' for the day that we adjourn the House early.

श्री लालू प्रसाद: मैडम, हम क्लेरिफिकोशन चाहते हैं। जो पुलिस की सेवा से रिटायर हुए हैं वे पेंशन ले रहे हैं, क्या वे भी पेंशन लेंगे? क्या यह पेंशन भी उनको मिलनी चाहिए?

उपसभापति: प्रेम चन्द जी बोलिए। आप क्या क्लेरिफिकेशन चाहते हैं?

श्री प्रेम गुप्ताः मैंडम, मैं यही क्लेरिफिकेशन चाहता था।

उपसभापति: आप यही क्लेरिफिकेशन चाहते थे।...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: उपसभापित महोदया, 300 किलोमीटर रोड ट्रेक्ल का प्रावधान इसमें किया गया है जो दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर में रहते हैं या नार्थ-ईस्ट में रहते हैं। मेरा मानना है कि सांसद सड़क से यात्रा सिर्फ यात्रा-भत्ता लेने के लिए नहीं करते हैं बल्कि इसिलए करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। इसिलए इसको यूनिवर्सल किया जाए, जो 300 किलोमीटर की सड़क यात्रा का प्रावधान है इसको यूनिवर्सल किया जाए। जो मेम्बर आफ पार्लियामेंट सड़क यात्रा करना चाहते हैं उन्हें इसमें छूट दी जाए क्योंकि वे सड़क यात्रा अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचने के लिए करते हैं।

[23 December, 2003]

उपसभापति: सुषमा जी, आपको इस पर कुछ कहना है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदया, कुछ टिप्पणियां इन प्रस्तावों के बारे में साथी सांसदों द्वारा की गई हैं। मैं बहुत संक्षेप में उनका उत्तर दना चाहंगी। सबसे पहले सीज साहब ने जो बात रखी, उन्होंने कहा कि वह स्वयं इंडियन एयरलाइन्स से यात्रा करते हैं और वाकी सभी सांसदों को इंडियन एयरलाइन्स से यात्रा करनी चाहिए। मैं सोज साहब को बताना चाहती हूं कि यह बिल मैं ला रही हुं लेकिन मेरे लिए नंशनल कैरियर केवल प्रेफरेंस नहीं बल्कि मेंडेटरी है और केवल इंडियन एयरलाइन्स ही नहीं एयर इंडिया भी। अगर मैं विदेश भी जाती हूं तो केवल एयर इंडिया से जाती हूं। लेकिन हमें इसे एक तरफा दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सवाल यह है कि अगर किसी जगह पर इंडियन एयरलाइन्स नहीं जाती, जेट और सहारा जाती है या दूसरी जगह इंडियन एयरलाइन्स 12 बजे जाती है और आपको 4 बजे जाना सूट कर रहा है और उस वक्त जेट या सहारा जाती है। जेट और सहारा या जो प्राडवेट एयरलाइन्स हैं- विदेशी एयरलाइन्स अभी हमारे यहां नहीं हैं- ये सारी भी भारतीय एयरलाइन्स है इसलिए सविधा को देखते हुए यह प्रावधान किया गया है। इसको अय्याशी मानना या दूसरी चीज मानना अपने आपमें गलत दृष्टि से देखना होगा। जहां तक प्रेफरेंस का सवाल है, मैंने आपको बताया कि मैं स्वयं, जो इस बिल को प्रस्तुत कर रहीं हं-आप तो शायद इंडियन एयरलाइन्स से जाते होंगे एयर इंडिया की जगह ब्रिटिश एयरवेज लेते होंगे---लेकिन आज तक मैंने, जहां एयर इंडिया जाती है, कभी भी दूसरी एयरलाइन नहीं ली है। नेशनल करियर के लिए यह मेरा अपना पर्सनल कमिटमेंट है।

जहां तक लालू जी ने बात की, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि ये दो अलग मुद्दे हैं। एक है, ''राशि कितनी मिले'' और दूसरा है, ''किनको मिले'' अभी हमने इस विधेयक में केवल एक चीज़ का समाधान किया है, ''किनको मिले''। जो इससे वंचित रह गए थे, उनको इसके नेट में लाएं। यानी सारे के सारे एमपीज़ जो एक्स एमपी हो गए, उनको सबको मिले। कितनी मिले, इस विषय पर अभी हमने तय नहीं किया है। जो पुराना तीन हजार चल रहा था, वही इनको मिल रहा है। जिस दिन यह तय होगा कि कितनी मिले, उस दिन जो सुझाव आपने रखा, उस सुझाव पर गौर होगा। अभी ''किनको मिले'' का प्रावधान है और मुझे लगता है कि उसमें आपकी सहमति है कि सब पूर्व सांसदों को मिलनी चाहिए। जो बात भाई नीलोत्पल जी ने कही और मनोज भट्टाचार्य जी ने जिसका समर्थन किया-हम स्वयं इस चीज को मानते हैं। जब भी एक बिल. इस तरह का एक भी सुविधा बढ़ाने वाला यहां आता है तो आपस में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं और बाहर भी आलोचना का वॉयस बनता है। अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, जिस सिस्टम के चलते आदोमैटिक यह हो जाए और हर बार यहां लाकर आलोचना न करनी पड़ी यह बहुत अच्छा सुझाव है लेकिन इसका मकैनिज्म बनाने में अभी देर लग रही है। मकैनिज़्म कई तरह के सामने आए हैं। मुझे लगता है कि जो संसदीय सिनित बनी है, वह शायद कोई ऐसा मकैनिज़म दे दे जिससे इस ज़हमत से हम लोगों को निजात मिल जाए।

जो सुझाव नारीमन जी ने दिया है और शंकर राय चौधरी तथा भारतेन्दु प्रकाश सिंहल साहब ने जिसका समर्थन किया है, मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा सुझाव है। मुझे ऐसा लगता है कि यह सुझाव संसदीय समिति को देना चाहिए, जो इसके ऊपर गठित हुई है। यह एक अच्छा आदर्श उदाहरण हम लोग प्रस्तुत करेंगे कि जिस दिन हम काम न करें, उस दिन हम वेतन नहीं लेंगे। यह सुझाव चूंकि सदन में आया है इसलिए उस संसदीय समिति को हम लोग दे देंगे और जब उसकी अनुशंसा आएगी तब निश्चित तौर पर उसका भी समावेश हम यहां करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो पांच छ: साथी बोले हैं, उन्होंने यही बातें रखी थीं। उन बातों के ऊपर मेरा उत्तर आ गया है और जो मैं बीच से सुन रही थी कि सब कह रहे थे...(व्यवधान)...

उपसभापति: अपने बोल दिया है।

श्री लालू प्रसाद: जब हम लोगों ने काम नहीं किया था, विगत सत्र में हम लोगों ने लिखकर दे दिया था कि हमने काम नहीं किया, हमें वेतन नहीं चाहिए।..(व्यवधान)...

श्रीमतो सुषमा स्वराज: यह नियम बन सकता है...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: रोज दस्तखत होते हैं तब पांच सौ रुपए मिलते हैं।..(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापित महोदया, मेरा एक निवेदन है कि संविधान संशोधन की वोट का समय निर्धारित है...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): मैडम, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सदन का बहिष्कार किया था तब हमने कोई सैलरी नहीं ली थी। हमने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था।...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः बहुत सही किया था। मैं केवल यह कह रही हूं कि जो नारीमन जी ने कहा, वह उदाहरण अगर नियम बन जाए तो कोई आपित नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि संविधान संशोधन पर वोटिंग होनी है। मैंबर्स को जाना है, बहुतों को ट्रेन्स पकड़नी है। इसलिए इस बिल को पारित करें ताकि हम संविधान संशोधन लें और उसकी वोटिंग हम रख सकें। धन्यवाद।

प्रो॰ राम देव भंडारी: 300 किलोमीटर रोड युनीवर्सल कर दिया जाए..

श्रीमती सुषमा स्वराज: अभी तो यही किया जाएगा जो आज है। अभी अमैंडमेंट थोड़ा ही होगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension

of Member of Parliament Act, 1954, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 9 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill. श्रीमती सुषमा स्वराजः महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। The question was put and the motion was adopted.

THE CONSTITUTION (ONE-HUNDREDTH AMENDMENT) BILL, 2003

THE DEPUTY PRIME MINISTER IN CHARGE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI L.K. ADVANI): Madam, I move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

महोदया, मुझे इस समय केवल इतना कहना है कि जब संविधान बना था, तब संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थीं। आगे चलकर 1959 में इस सदन में श्री जयरामदास दौलतराम थे और उस सदन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने इस बात के लिए प्रयत्न किया और सरकार ने माना कि सिंधी को भी इस अनुसूची में सिम्मिलित किया जाए - मेरी मातृभाषा है। 1992 में तीन भाषाएं और जोड़ी गईं - कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और मैं मानता हूं कि देश में बहुत सारी भाषाएं हैं जहां के बोलने वालों की मांग रही है कि उन्हें भी 8वीं अनुसूची में स्थान दिया जाए। क्रमश: होता रहा है और पिछले दिनों आज से तीन-चार साल पहले जब बोड़ो लिबरेशन यहगर्स ने हथियार त्याग करके सरकार से वार्ता आरंभ की तो उस वार्ता के दौरान, वार्ता करते-करते जो समझौता हुआ, उस समझौते में यह बात भी स्वीकार की गई भारत सरकार द्वारा और असम की सरकार के द्वारा कि बोड़ो भाषा को भी 8वीं अनुसूची में स्थान देने के प्रति भारत सरकार एक सिम्पेथेटिक रवेया अपनाए। बोड़ो ऐकॉर्ड कार्यान्वित हो गया, वहां पर बहुत उत्साह है लेकिन बोड़ो भाषा को इसमें सिम्मिलत करते हुए यह विचार आया कि कुछ और भाषाओं को भी इसमें